II–158
C. J.

Witness No. 03 .For. अभियोजन Deposition taken

the.. 6.5..2025 ...day of मंगलवार Witness's apparent age. 39

States on affirmation my name is.– जगबंधु निषाद

son of.– श्री जलधर निषाद ..occupation.– आरक्षक क्रमांक 358

address.– थाना नगरनार जिला बस्तर छ०ग०

समय– 1.45 बजे ।

शासकीय सेवक /लोक सेवक होने से बिना शपथ दिलाये परीक्षण प्रारंभ किया गया ।

मुख्य परीक्षण द्वारा श्री तपस कुमार विश्वास अभियोजक वास्ते अभियोजन

01– मैं वर्ष 2022 से आज दिनांक 6.5.2025 तक थाना नगरनार में आरक्षक क्रमांक 358 के पद पर पदस्थ होकर कार्यरत हूॅ ।

02– थाना नगरनार में मेरी पदस्थापना दौरान दिनांक–3.9.2022 को समय–12.20 बजे थाना नगरनार के अपराध क्रमांक–168/2022 अंतर्गत धारा– 20(ख)(ii)(ग) एनडीपीएस एक्ट से संबंधित कार्यवाही का विशेष डाक सी एस पी कार्यालय जगदलपुर में जमा करने हेतु मेरे नाम का कर्तव्य प्रमाण पत्र जारी किया गया था तथा उक्त प्रकरण के विवेचक के द्वारा मुझे तीन डाक दो–दो प्रति में मुखबिर सूचना पंचनामा, अपराध की सूचना प्राप्त होने की सूचना, तलाशी वारंट न कर सकने का पंचनामा जमा करने हेतु दिया गया था ।

03– मेरे द्वारा दिनांक– 3.9.2022 को ही नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय जगदलपुर में जाकर वहां के रीडर के समक्ष उपरोक्त तीनों डाक जमा कर उसकी पावती प्राप्त कर थाना नगरनार के उपरोक्त प्रकरण के विवेचक के समक्ष अपना तामिली रिपोर्ट सहित पावती प्रस्तुत किया था । मेरा कार्यप्रमाण पत्र **प्रदर्श पी 20** है ।

04– अभिलेख में संलग्न मुखबिर सूचना पंचनामा **प्रदर्श पी 21,** अपराध की सूचना प्राप्त होने की सूचना **प्रदर्श पी 22 एवं** तलाशी वारंट न कर सकने का पंचनामा **प्रदर्श पी 23** वही दस्तावेज है

जिसमें मुझे पावती दिया गया था । प्रदर्श पी 21, 22 एवं 23 के अ से अ भाग पर नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय की सील लगी हुई है जिसके अंदर में आवक जावक क्रमांक 800/2022 दिनांक 3.9.2022 उल्लेखित है तथा मुझसे (जगबंधु निषाद) से डाक प्राप्त कर डाक की पावती देकर समय 14.10 बजे रवाना किया उल्लेखित है तत्पश्चात ब से ब भाग पर नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय जगदलपुर के डाक प्राप्त कर्ता क्रमांक 319 हेमसागर सिदार के हस्ताक्षर है ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री आनंद विश्वकर्मा अधिवक्ता वास्ते अभियुक्तगण

05– यह कहना सही है कि मैंने कार्य प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 20 में तामिली रिपोर्ट नहीं दिया है । यह कहना गलत है कि मुझे जो डाक दिया गया था उसके अंदर में क्या उसकी जानकारी मुझे नहीं थी । साक्षी अब कहता है कि मेरे सामने डाक नहीं खोला था ।

समय–2.00 बजे ।

वांचित, सत्य, स्वीकृत ।	**मेरे निर्देशन में टंकित ।**
सही/–	**सही/–**
(संघरत्ना भतपहरी)	**(संघरत्ना भतपहरी)**
विशेष न्यायाधीश	**विशेष न्यायाधीश**
एन०डी०पी०एस एक्ट जगदलपुर	**एन०डी०पी०एस एक्ट जगदलपुर**

साक्षी के हस्ताक्षर